बजट 2001-2002 की मुख्य विशेषतायें

बजट कार्यनीति

- कृषि क्षेत्रक में तीव्रीकृत सुधार - खाद्य अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लक्ष्य बनाया गया।
- आधारभूत सुविधा निवेश में तेजी, वित्तीय क्षेत्रक और पूंजी बाजारों में निरंतर सुधार, संरचनात्मक सुधारों को व्यापक बनाना - आर्थिक क्रियाकलापों के लिए बाधक नियंत्रण हटाना।
- बेहतर शिक्षा अवसरों एवं सामाजिक सुरक्षा के द्वारा मानव विकास।
- अनुत्पादनकारी व्यय में कटौती और सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना।
- निजीकरण प्रक्रिया को तेज करना और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन।
- कर-आधार बढ़ाना और कर प्रशासन को कुशल बनाना।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

- नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. VII का कार्पस अगले वर्ष 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करना और लगाई गई ब्याज दर 11.5% से कम करके 10.5% की गई।
- किसान क्रेडिट कार्ड - अगले तीन वर्षों में सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड (1998-99 से अब तक 110 लाख कार्ड जारी)
- किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए सब्सिडियुक्त किस्तों पर व्यक्तिगत बीमा सुरक्षा।
- नाबार्ड वर्ष 2001-02 के दौरान 1 लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों को जोड़ेगा जो 20 लाख अतिरिक्त परिवारों को ऋण प्रदान करने में मदद करेगा। बटाईदारी एवं काश्तकारी वाले किसान भी इसके पात्र।
- जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के शीत-भण्डारण के लिए ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम जिसका ग्रामीण गोदामों तक विस्तार।
- फसल भण्डारण के लिए नाबार्ड ब्याज दर 10% से घटाकर 8.5% करेगा।
- कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लीनिक्स और कृषि-कारोबार केन्द्रों की स्थापना की नई स्कीम।
- पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म पर ही जल-प्रबंधन (70 करोड़ रुपए)।
- पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (38 करोड़ रुपए)।

ग्रामीण सड़कें

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (2500 करोड़ रुपए) सभी मौसमों में चालू सड़कों के जरिये 1000 से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक गांव को 2003 तक और 500 तक की आबादी वाले प्रत्येक गावों को 2007 तक जोड़ना।

ग्रामीण विद्युतीकरण

- पी.एम.जी.वाई का ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी विस्तार।
- अगले 6 वर्षों में संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण
- दलित बस्तियों अनुसूचित जनजातीय घरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शीघ्र विद्युतीकरण हेतु रा.वि. बोर्डों को आर.ई.सी. ऋण सहायता में वृद्धि।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर.आई.डी.एफ. से 750 करोड़ रुपए का निर्धारण।

खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन

- लोक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उगाही एवं वितरण में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सब्सिडी दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने एवं वितरित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता।
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की पुनरीक्षा और खाद्यान्नों की स्वतंत्र अंतरराज्यीय आवा-जाही पर प्रतिबंध हटाना। अधिनियम के अधीन अनिवार्य घोषित वस्तुओं की संख्या कम करना।

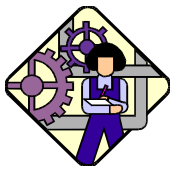

आधारभूत सुविधायें

विद्युत

- केन्द्र राज्य भागीदारी पर चलाये गये रा.वि. बोर्ड सुधार कार्यक्रम को केन्द्र सरकार निम्नलिखित के द्वारा तेजी से चलायेगी-
- दिसम्बर, 2001 तक 100% मीटर प्रणाली संस्थापन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम।
- सभी स्तरों पर ऊर्जा के लेखा परीक्षा।
- बिजली की चोरी में कमी और अंततः उसे समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम।
- राज्य विद्युत विनियमन आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण एवं उनका अनुपालन।
- वितरण का वाणिज्यीकरण।
- राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन।
- तीव्रीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम को आबंटन 2000-01 में 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया।
- विद्युत विधेयक 2001 को पेश करना।
- केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत सेवा सुविधाओं के लिए योजना परिव्यय 2000-01 में 9,194 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-02 में 10,030 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

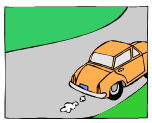

सड़कें

- इस क्षेत्रक के लिए कुल योजना परिव्यय 93% बढ़ाकर 2001-02 में 8727 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का पहला चरण दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- राज्य सड़कों के लिए उपकर निधि से राज्यों को 962 करोड़ रुपए की सहायता और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए की सहायता।

दूर संचार

- सभी सेवा क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा की शुरुआत की जा रही है।
- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण क्षेत्रों को एकीकृत रूप में कवर करने के लिए समविकासिता विधेयक पेश किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार

- वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार में सुधार जारी रहेंगे।

ऋण बाजार

- मुद्रा बाजार (रीपो सहित) के और सुव्यवस्थित विकास, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान के लिए एक समाशोधन निगम की स्थापना की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक वास्तविक समय आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों और कारोबार में पारदर्शी इलेक्ट्रोनिक बोली को सुसाध्य बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोनिक परक्रामित लेनदेन प्रणाली जून 2001 तक स्थापित करेगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक अगले वर्ष में इलेक्ट्रोनिक निधि अन्तरण (ई एफ टी) और वास्तविक समय सकल निपटान प्रणालियां (आर टी जी एस) स्थापित करेगा।
- स्ट्रिप्स, जीरो कूपन बांड, डीप डिस्काउंट बांड आदि के निर्गम को बढ़ावा देने के लिए कराधान विसंगतियों को हटाना।
- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम के स्थान पर सरकारी ऋण अधिनियम लाया जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्रक

- 2001-02 के दौरान 7 और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी।
- चूक के मामलों में पुरोबन्ध की व्यवस्था करने और प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के लिए कानून लाया जाएगा।
- परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया जाएगा।
- बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डो को 31 जूलाई, 2001 तक अथवा इससे पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा। बैंक भविष्य में सभी भर्तियां स्वंय करेंगें।

पूंजी लेखा उदारीकरण

- भारतीय कम्पनियां अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना विदेशों में प्रतिवर्ष 50 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से कर सकती हैं।
- वे कम्पनियां जिन्होंने एडीआर/जीडीआर जारी किए हैं अब से 50 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के स्थान पर इन प्राप्तियों के 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश कर सकती हैं।
- भारतीय कम्पनियां जिन्होंने एडीआर/जीडीआर जारी किए हैं, 100 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अथवा एक वर्ष में उनके निर्यातों के दस गुणा के बराबर, जो भी अधिक हो, तक के विदेशी कम्पनियों के शेयरों का अधिग्रहण कर सकती हैं।
- भारतीय कम्पनियों को एकमुश्त शेयरधारिता के एवज में एडीआर/जीडीआर निर्गमों को प्रायोजित करके विदेशी स्टॉक एक्सचेजों में सूचीबद्ध होने की अनुमति। यह सुविधा सभी श्रेणी के शेयरधारकों को दी जानी होगी।

विदेशी निवेश

- विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश माध्यम के अधीन किसी कम्पनी में निवेश की 40 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जा रहा है।
- यदि विदेशी निवेशक न्यूनतम 50 मिलियन अमरीकी डालर लाते हैं तो गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए घरेलू बाजार में उसकी धारिता के न्यूनतम 25 प्रतिशत का परित्याग करने की शर्त नहीं होगी।

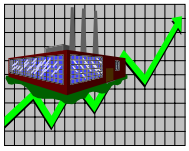

ढांचागत सुधार

नियन्त्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली (ए पी एम)

पेट्रोलियम

- पेट्रोलियम सेक्टर में नियन्त्रित मूल्य निर्धारण प्रणाली को हटाने के लिए मार्च 2002 की निर्दिष्ट सीमा का अनुपालन किया जाना है।

उर्वरक

- व्यय सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 अप्रैल 2006 तक यूरिया पर पूरी तरह नियन्त्रण हटाने का चरणबद्ध कार्यक्रम
- 1 अप्रैल 2001 से एकक विशिष्ट अवधारण मूल्य स्कीम (आर पी एस) के स्थान पर सामूहिक रियायत स्कीम
- 1 अप्रैल 2001 से नैप्था/एफ ओ/एल एस एच एस पर आधारित यूरिया इकाइयों के लिए रियायत की दर को इन फीड स्टाकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ा जाएगा।

चीनी

- चीनी के पूर्ण विनियन्त्रण की दिशा में एक कदम के रूप में चीनी के वायदा कारोबार की शुरूआत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का फुटकर निर्गम मूल्य 1 मार्च, 2001 से संशोधित कर 13.25 रुपए प्रति किग्रा. किया जा रहा है।

औषधि मूल्य नियन्त्रण

- मूल्य नियन्त्रण के दायरे को काफी कम किया जाएगा परन्तु सरकार के पास उन मामलों में जहां मूल्य असामान्य हों, पूरी तरह दखलन्दाजी करने का अधिकार है।

औद्योगिक पुनर्गठन

- एस आई सी ए को निरस्त किया जाएगा। एक राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायधिकरण की स्थापना के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

श्रम बाजार

- औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कामबंदी, छंटनी और बन्द करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए कार्यरत श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 के स्थान पर कम से कम 1000 कार्यरत श्रमिकों की शर्त। पृथक्करण मुआवजे को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन किया गया।
- संविदा श्रमिक अधिनियम में संशोधन ताकि क्रियाकलापों के स्रोतों का विस्तार और संविदा नियुक्तियां की जा सकें। इससे विस्तारित क्रियाकलापों में लगे श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के रूप में संरक्षण मिल सकेगा।

आश्रय बीमा योजना

- नई **"आश्रय बीमा योजना"** में अपना रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत तक का मुआवजा दिया जाएगा। चार सरकारी साधारण बीमा कम्पनियां इस नीति को **"लाभ-हानि रहित"** आधार पर प्रशासित करेंगी और जून 2001 तक पूरे ब्यौरे की घोषणा करेंगी।

लघु उद्योग

- चर्म वस्तुओं, जूतों और खिलौनों से सम्बन्धित 14 मदों को अनारक्षित किया जा रहा है।
- छूट की सीमा को 1 सितम्बर, 2000 से दुगना कर 1 करोड़ किया गया है।
- लघु उद्योग क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम के तहत अगले पांच वर्षो में 5000 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगें।

वस्त्रोद्योग

- वस्त्रोद्योग के लिए आवंटन को 2000-01 में 457 करोड़ रुपए से 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 2001-02 में 650 करोड़ रुपए किया गया।
- एकीकृत परिधान पार्को की स्थापना की नई स्कीम (10 करोड़ रुपए)
- टी यू एफ एस के तहत प्रावधान बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए।

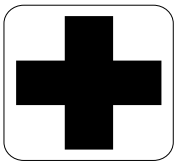

मानव विकास

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजना आवंटन 4920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5780 करोड़ रुपए किया गया। एच आई वी/एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को फार्मास्युटिकल उद्योग की तरह लाभ। पेटेन्टों की मंजूरी रोकने के लिए पारम्परिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम की शुरुआत।

शिक्षा

- नौंवीं योजना के बाद बुनियादी शिक्षा की सभी वर्तमान स्कीमों को मिलाकर एक एकीकृत राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान और अगले वर्ष मार्च तक इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाना है।
- रुड़की इंजीनियरिंग कालेज का दर्जा बढ़ाकर आई आई टी का किया गया
- आई आई टी के आधार का विस्तार किया जाना, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का सुदृढ़ीकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी से नए संस्थान खोला जाना।
- विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम।
- इंजीनियरिंग संस्थाओं को अदायगियों के लिए भी शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
- शैक्षणिक ऋणों के लिए नई व्यापक वाणिज्यिक बैंक स्कीम जिसमें भारत और विदेशों के विद्यालयों व महाविद्यालयों के सभी पाठयक्रमों को शामिल किया जाएगा। भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का और विदेशों में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण।

महिलाएं

- गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीब महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय महिला कोष** का सुदृढ़ीकरण।
- महिलाओं के स्वयं-सेवी समूहों के माध्यम से 650 विकास खण्डों में महिला अधिकारिता की एक एकीकृत स्कीम शुरू की जा रही है।
- कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं जैसे वृन्दावन, काशी और अन्य स्थानों की विधवाओं, गरीब महिलाओं और अन्य वंचित महिलाओं के लिए स्कीम।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

- जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनूसूचित जनजाति के उत्थान हेतु कल्याण स्कीमों के लिए आवंटन 2000-2001 में 786 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बजट अनुमान 2001-2002 में 986 करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अनूसूचित जाति के कल्याण व उत्थान हेतु आवंटन 2000-2001 में 709 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2001-2002 के बजट अनुमान में 790 करोड़ रुपए किया गया।

सामाजिक सुरक्षा

- जीवन बीमा निगम के प्रबन्धाधीन दो स्कीमें शुरु की गईः
- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए खेतिहर मजदूर बीमा योजना जिसमें जनश्री बीमा योजना की ही तरह के बीमा कवर के लाभ और लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु होने पर 100 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। लाभार्थियों को प्रीमिमय के तौर पर एक अल्प अंशदान करना होगा।
- शिक्षा सहयोग योजना जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों को 100 रुपए प्रतिमाह का शैक्षणिक भत्ता दिया जाएगा जिससे वे कम से कम 9वीं से 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई का खर्चा वहन कर सकें। यह योजना जनश्री बीमा योजना के अभिदाताओं के लिए उपलब्ध होगी।
- कर्मचारियों की मासिक मजदूरी के सरकार के 1.16 प्रतिशत के पेंशन निधि में अंशदान की उच्चतम सीमा प्रतिमाह 5000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जा रही है।
- बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर गौर करेगा और दिनांक 1 अक्तूबर, 2001 तक पेंशन सुधारों के लिए मार्ग प्रदान करेगा।

प्रत्रकार कल्याण निधि

- 1 करोड़ रुपए के अंशदान से पत्रकार कल्याण निधि स्थापित की जा रही है।

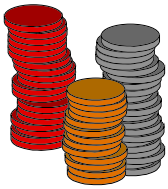

राजकोषीय समेकन

व्यय प्रबंध

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई भर्ती कुल सिविलियन कर्मचारियों की संख्या के 1 प्रतिशत तक सीमित रहे, भर्ती की सभी अपेक्षाओं की संवीक्षा की जाएगी।
- बढ़ते हुए डाक घाटे को रोकने के लिए डाक दरों को संयत रुप से संशोधित किया जाएगा।
- सरप्लस स्टाफ की पुनः तैनाती और पुनः प्रशिक्षण के लिए सरप्लस पूल को सज्जित और सुदृढ़ किया जाएगा। सरपल्स पूल में गए कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज भी प्रदान किया जाएगा।
- सरकारी आवास पर मानक लाइसेंस शुल्क (किराया) दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से बढ़ाया जा रहा है।
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई है।
- व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को 31 जुलाई, 2001 तक कार्यान्वित किया जाएगा और अभिज्ञात सरप्लस स्टाफ को सरप्लस पूल में स्थानान्तिरत किया जाएगा।

पेंशन संबंधी सुधार

- मौजूदा पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम के लिए मार्ग दिखाने हेतु उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह की स्थापना। 1 अक्तूबर, 2001 के बाद केन्द्र सरकार की सेवाओं में आने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदानों पर आधारित एन नए पेंशन कार्यक्रम के जरिए पेंशन प्राप्त करेंगे।

ब्याज दरें

- नियन्त्रित ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 की स्थिति से 1 से 1.5 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इन स्कीमों के लिए सरकारी गारंटियां और कर प्रोत्साहन जारी रहेंगें।
- लघु बचत जमाओं पर ब्याज दरों में कमी का लाभ पूरी तरह राज्यों को दिया जाएगा।
- राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के ऋणों के हिस्से पर ब्याज दर में 50 आधार बिन्दु तक कमी की जाएगी।

राज्यों के राजकोषीय सुधार

- राज्यों को मॉनीटरिंग योग्य राजकोषीय सुधारों को क्रियान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन निधि के लिए 4243 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- राज्यों को केन्द्रीय करों के अन्तरण में चालू वर्ष की तुलना में 2001-2002 में लगभग 9000 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित।

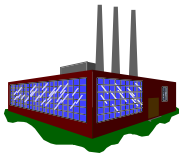

सरकारी क्षेत्रक का पुनर्गठन और निजीकरण

- निजीकरण में तेजी लाई जानी है।
- विनिवेश से प्राप्त 12000 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति में से 7000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठन सहायता, कामगारों के सुरक्षा तन्त्र और ऋण भार में कमी के लिए किया जाएगा।
- विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियों की वसूली होने पर 5000 करोड़ रुपए की राशि मुख्यता सामाजिक और आधारभूत ढांचा क्षेत्रकों में आयोजना के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता के लिए प्रयोग की जाएगी।

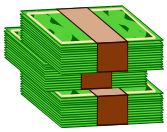

कर प्रस्तावों के सिद्धान्त

- राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता, कर-व्यवस्था का सरलीकरण और युक्ति-संगतिकरण और ईमानदार करदाता के लिए अनुकूल और करवंचक के लिए निवारक उपायों के जरिए प्रभावी कर अनुपालन।

अप्रत्यक्ष कर

उत्पाद शुल्क

- वर्ष में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वसूली 4,677 करोड़ रुपए अनुमानित। कुल संग्रहण 71,252 करोड़ रुपए से बढ़कर 81,720 करोड़ रुपए।
- कुछ मदों जिन पर इस समय 8% सेनवेट लगता है, पर अब 16% की सामान्य दर प्रभार्य होगी सिवाय सिलाई धागे सहित सूती धागा, एलपीजी, केरोसीन और 10 एचपी तक के डीजल इंजन जिन पर 8% की दर लागू रहेगी।
- उत्पाद शुल्क ढांचे में वृहत यौक्तिकीकरण; यथामूल्य शुल्कों के सम्बन्ध में लगभग 80% राजस्व 16% की एकल दर से आएगा और लगभग 17% राजस्व 32% की सम्मिलित दर पर।
- फलों और सब्जियों से तैयार उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट।
- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के निधिपोषण के लिए सिगरेट/बीड़ी/पान मसाला पर विशेष अधिभार।
- हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का असर कुछ तकनीकी सुधारों के सिवाय उपभोक्ताओं पर नहीं डालना प्रस्तावित।
- विनिर्दिष्ट बैंकिग तथा वित्तीय सेवाएं, दुपहियों सहित वाहनों की सर्विसिंग करने वाले प्राधिकृतसर्विस स्टेशन, पत्तन सेवाएं, प्रसारण सेवाएं, फोटोग्राफिक सेवाएं, सम्मेलन आयोजन सेवाएं, साउंड रिकार्डिग सेवाएं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परामर्श सेवाएं, टेलेक्स सेवाएं, टेलीग्राफ सेवाएं, प्रतिकृति सेवाएं, ऑन लाइन सूचना और डाटाबेस रिट्रीवल सेवाएं, वीडियो टेप, निर्माण सेवाएं, बीमा अनुषंगी सेवाएं और लीज सर्किट लाइनधारकों को प्रदत्त सेवा को कर दायरे के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

सीमा शुल्क

- कुल संग्रहण 53,572 करोड़ रुपए से बढ़कर 54,822 करोड़ रुपए
- बजट प्रस्तावों से 2,128 करोड़ रुपए की राजस्व हानि का अनुमान
- सीमा शुल्क को उत्तरोत्तर तीन वर्षों की समयावधि के भीतर लाना और दरों की संख्या को 20 प्रतिशत की अधिकतम दर सहित न्यूनतम स्तर तक घटाना।
- 10 प्रतिशत का अधिभार दिनाक 31.3.2001 को व्यपगत होना। परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की अधिकतम दर 38.5 प्रतिशत से गिरकर 35 प्रतिशत होना।
- कच्चे खाद्य तेलों पर वर्धित शुल्क की 75 प्रतिशत और रिफांइड तेल पर 85 प्रतिशत की समान दर।
- चाय, काफी, गरी और नारियल तथा सुखाए हुए नारियल पर सीमा शुल्क को वर्तमान 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना।
- पुरानी कारों, पुराने बहु उपयोगी वाहनों, स्कूटर तथा मोटर साइकिलों के आयात पर शुल्क बढ़ाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा टेलीकॉम पर शुल्क घटाना।
- फिल्म उद्योग द्वारा उपयोग में ला जा रहे सिने कैमरा, प्रोजैक्टर और कतिपय अन्य सम्बन्धित उपस्कर पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना।
- प्राधिकृत प्रैसमैन, और कैमरामैन को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए दो वर्षों में एक बार सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना एक लाख रुपए मूल्य के कैमरा, कम्प्यूटर, फैक्स मशीन आदि का आयात करने की अनुमति।
- स्वर्ण पर सीमा शुल्क प्रति 10 ग्राम पर 400 रुपए से घटाकर प्रति 10 ग्राम 250 रुपए करना।
- आयातित उपभोक्ता उत्पादों पर सीवीडी को अधिक्तम खुदरा मूल्य के आधार पर चार्ज करना।

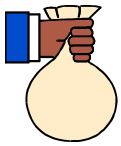

प्रत्यक्ष कर

- कुल संग्रहण 72,105 करोड़ रुपए से बढ़कर 85,275 करोड़ रुपए होना।
- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 5500 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होना जिसे करों में तेजी लाकर और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाकर पूरा किया जाएगा।
- गत वर्ष की भांति समान दर बनी रहेंगी, तथापि, सहकारी सोसाइटियां आगे से 35 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगी।
- निगमों तथा गैर-निगमों द्वारा देय सभी अधिभारों को हटाया जाएगा लेकिन राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के वित्त पोषण के लिए 2 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा। 60,000/-रुपए तक की आय वाले निर्धारिती किसी अधिभार के अधीन नहीं होंगे।
- मानसिक विकृति, मास्तिक पक्षाघात, मानसिक रूप से कमजोर, बहु अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट में दिए गए दान पर शत प्रतिशत छूट।
- 1991 की जनगणना में यथा परिभाषित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में छः में से एक की योजना का विस्तार करना। 2001 की जनगणना से उत्पन्न परिवर्तनों को बाद में शामिल किया जाएगा।
- घाटे में चल रही कंपनियों द्वारा भी विवरणी भरना।
- शेयर और प्रतिभूतियों से संबंधित लेन-देनों को छोड़कर कमीशन और दलाली के रूप में 2500/- रुपए से अधिक की आय पर स्रोत पर 10 प्रतिशत की दर पर आयकर कटौती।

- लाटरियों, वर्ग पहेलियों आदि से जीती गयी राशियों पर अब 30 प्रतिशत का कर लगना। टेलीवीजन गेम शो और इसी प्रकार के अन्य गेम शो से जीती गयी राशि के स्रोत पर 30 प्रतिशत की दर पर आयकर कटौती।

- मियादी जमा राशियों पर ब्याज से प्राप्त आय सीमा के स्रोत पर कर की कटौती को 10,000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए करना।

- एक लाख रुपए की आय वाले निम्न आय सीमा में वेतनभोगी व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत उनके पात्र निवेशों के संबंध में मौजूदा 20 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत की दर पर वर्धित कर छूट प्रदान करना।

- निर्यातोन्मुखी इकाइयों, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में स्थित इकाइयों को भारत में स्वीकृत बिक्रियों पर कर देना होगा।

- सॉफ्टवेयर टेक्नोलौजी पार्क में स्थित इकाइयों द्वारा "कार्यस्थल" पर सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ उनके अन्य निर्यात से प्राप्त लाभ के सदृश छूट के पात्र होंगे। इन क्षेत्रों से बाहर स्थित इकाइयां भी ऐसी निर्यात आय पर कर छूट का लाभ प्राप्त करेंगी। आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख में कंपनियों के स्वामित्व के अंतरंण से संबंधित शर्त उन कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होगी जिनमें जनता की पर्याप्त रूप से रूचि है।

- नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को प्राप्त कर छूट को वापस लेना।
- विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के सम्बन्ध में कर छूट पहली जून, 2001 को अथवा उसके बाद लिए गए ऐसे उधारों के लिए वापस ले ली गयी है।
- धारा 80ठ के अन्तर्गत कतिपय ब्याज आय पर छूट की अधिकतम सीमा को 9,000 रुपए तक घटाना।
- घरेलू कम्पनियों के लाभाशों के वितरण पर और म्युचुअल फंडों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों के सम्बन्ध में आय पर देय कर को 10 प्रतिशत तक घटाना।
- प्राथमिक पूंजी बाजार को बढ़ावा देना - प्रतिभूतियों तथा इकाइयों की ब्रिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीलाभों को छूट प्रदान करना बशर्ते कि ऐसे लाभ पब्लिक कम्पनियों के शेयरों के प्राथमिक निर्गम पर पुनः निवेश किए जाएं।
- सड़क, राजमार्ग, जलापूर्ति, सिंचाई, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों के लिए 10 वर्षीय करावकाश का उपयोग प्रारम्भिक 20 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाएगा। हवाई, अड्डों, पत्तन, अन्तर्देशीय पत्तनों, औद्योगिक पार्कों और विद्युत निर्माण तथा वितरण के मामले में जो केवल दीर्घकाल में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हों उन्हें दस वर्षों का करावकाश प्रारम्भिक पन्द्रह वर्षों के दौरान देना प्रस्तावित है।
- 31 मार्च, 2000 तक दूर संचार क्षेत्र को उपलब्ध अगले पांच वर्ष तक के लिए पांच वर्षीय करावकाश और 30% कटौती को 31 मार्च 2003 को या उससे पहले अपना कार्य संचालन शुरू कर रहे यूनिटों के लिये पूर्व व्याप्ति से पुनः शुरू किया गया। यह रियायतें इंटरनेट सेवा प्रदायकों एवं ब्रोडबैण्ड नेटवर्क को भी दी गईं।

- यह प्रोत्साहन आधार सुविधाओं में लगे उद्यमों की शेयरपूंजी में दीर्घकालिक वित्त या निवेश प्रदान कर रहे निवेशकों के लिए भी दिये गये हैं। ऐसे निवेशों से प्राप्त ब्याज, लाभांश या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी भी आय को पूरी छूट दी गई। इस रियायत का विस्तार गारंटी कमीशन और आधार सुविधा उद्यमों से वित्तीय संस्थाओं द्वारा अर्जित ऋण वृद्धि शुल्कों के लिये भी किया गया। अनुमोदित आधार सुविधाओं में निवेश से प्राप्त आय पर छूट के लिए सहकारी बैंक भी पात्र होंगे।

- कतिपय क्षेत्रों में अंतरंग अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय के 150% की भारित कटौती जैव प्रौद्योगिकी और क्लीनिकी परीक्षणों, पेटेंट दायर करने और विनियामक अनुमोदन प्राप्ति के लिए दी जा रही है। इंडिया मिलेनियम मिशन, 2020 के अधीन विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को प्रदत्त धनराशि 125% की भारित कटौती का पात्र होगी।
- खाद्यान्नों के एकीकृत संचालन, परिवहन एवं भण्डारण के कारोबार में लगे उद्यमों को अगले पांच वर्षों के लिये पांच वर्षीय करावकाश एवं मुनाफे की 30% की कटौती प्रदान की गई।
- चाय के लिये उपलब्ध विकास छूट 20% से बढ़ाकर 40% की गई। इस अतिरिक्त छूट का उपयोग केवल चाय बागानों के पुनः पौधारोपण, आधुनिकीकरण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये किया जाएगा।
- स्वयं के आवासीय भवनों के लिये आवास ऋणों पर देय ब्याज हेतु उपलब्ध कटौती की आधिकतम धनराशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दी गई।
- जीवन बीमा निगम की किश्तों के भुगतान पर कटौती या छूट के रूप में स्वीकृत कर प्रोत्साहन उन सभी बीमा कम्पनियों को दिये गये जिन्हें बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकारण द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण हेतु आवश्यक कानूनी परिवर्तन किये जा रहे हैं।
- विदेशी टेलीकास्टिंग चैनलों पर अब आगे से भारत में कर लगाया जाएगा।
- आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारणों की वापसी, पुनर्करनिर्धारण और पुनः मामले खोलने के लिए समय-सीमा कर दी गई। किसी कर निर्धारिती को देय वापसी रोकने की शाक्ति वापस ली गई। इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तान्तरण से पहले कर निर्धारण अधिकारी से धारा 230 क के अधीन कर स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिकांश चूकों के लिये दण्ड की एक नियत धनराशि लगाई जायेगी।

बजट अनुमान

- कई वर्षों में पहली बार वर्ष 2000-2001 में राजकोषीय घाटे के 5.1 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति।
- वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान में कुल व्यय का अनुमान 3,75,223 करोड़ रुपए है जिसमें आयोजना के लिए 100,100 करोड़ रुपए और आयोजना भिन्न हेतु 275,123 करोड़ रुपए है।
- संशोधित अनुमान 2000-2001 की तुलना केन्द्र, राज्य और संघ-राज्य क्षेत्रों के आयोजना के लिए बजट सहायता में 13,862 करोड़ रुपए (16 प्रतिशत) की वृद्धि होकर यह 100,100 करोड़ रुपए हो गया।
- संशोधित अनुमान 2000-2001 में केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को 48,269 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2001-2002 में 59,456 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- राज्यों और संघ राज्यों के लिये केन्द्रीय आयोजना सहायता 2001-2002 में बढ़ाकर 40,644 करोड़ रुपए की गई जो संशोधित अनुमान 2000-2001 में 37,969 करोड़ रुपए थी।
- वर्ष 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 2,49,285 करोड़ रुपए की तुलना में आयोजना भिन्न व्यय 2001-2002 में 2,75,123 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।